डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **368 / 2025** दायर दिनाँक **17.10.2025**

वादी

1. चान्द खां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. युसुफ खां पुत्र भंवरू खां
2. जैतुन बानों पत्नी भंवरू खां
3. इब्राहिम खां पुत्र नाथू खां
4. याकूब खां पुत्र नाथू खां (फौत)
5. रमजान खां पुत्र नाथू खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण बेरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन
6. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.,

दिनाँक **06.05.2026**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हाकम अली खां वकील वादी मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद बेरी खुर्द के खेत पुराने खसरा नम्बर 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 450 रकबा 2.8700 हैक्टेयर बारानी 1 में पंजीकृत बेचाण दिनांक 21.05.2007 के अनुसार 10 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—.................... खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **06.05.2026** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **368/2025** दायर दिनाँक **17.10.2025**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. चान्द खां पुत्र हासम खां जाति कायमखानी निवासी बेरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।	**बनाम्**	1. युसुफ खां पुत्र भंवरू खां 2. जैतुन बानों पत्नी भंवरू खां 3. इब्राहिम खां पुत्र नाथू खां 4. याकूब खां पुत्र नाथू खां (फौत) 5. रमजान खां पुत्र नाथू खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण बेरी खुर्द तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन 6. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.,

उपस्थितः–

1. श्री हाकम अली खां वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **06.05.2026**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, कि प्रतिवादीगण सं० 1 ता 5 की संयुक्त खातेदारी के खेत पुराने खसरा नम्बर 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 450 रकबा 2.8700 हैक्टेयर बारानी 1 व पुराने खसरा नम्बर 422/355 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 476 वाके सरहद बेरी खुर्द, पटवार हल्का बेरी खुर्द, भू.अभि.नि.क्षेत्र, नूंवा तहसील मौलासर में अवस्थित है। उक्त भूमि में से प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 ने अपने सम्पूर्ण सम्भावित हिस्से 229/458 भाग भूमि में से 55/458 भाग अर्थात 02 बीघा 15 बिस्वा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनाक 21.05.2007 को वादी को बैचाण कर दिया तथा मौके पर वादी को भौतिक एवम् वास्तविक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया, तब से वादी अपने खरीद सुदा 55/458 अर्थात 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर काबिज चला आ रहा है। वादी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 व 2 से रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र में उल्लेखित 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि का सहवन से अपने नाम नामान्तकरण नहीं भरवाया जा सका, जिस कारण से उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से कय सुदा, कब्जा सुदा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज नहीं हो सकी। जिस पर वादी ने श्रीमान् के समक्ष पूर्व में एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसका न्याय आपके द्वार 2008 राजस्व कोर्ट केम्प, खाखोली में तहसीलदार ने केम्प दिनाक 06.06.2018 में विभाजन प्रस्तावित किया। जिस पर श्रीमान् द्वारा दिंनाक 06.06.2018 को दावा डिक्री कर दिया। वादी ने उक्त डिकी की पालना हेतु श्रीमान् पटवारी को नामान्तकरण हेतु आदेश की प्रति देते हुये वादी के नाम विक्रय–पत्र में वर्णित खरीद सुदा, कब्जा सुदा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। लेकिन जब वादी द्वारा अपनी खरीद सुदा भूमि की नकल खतौनी प्राप्त की तो पता

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

चला की वादी की कय सुदा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से केवल मात्र 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि का ही नामान्तकरण भरा गया तथा वादी की खरीद सुदा शेष 10 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण नहीं भरने की जानकारी हुई, इसलिए वादी उपरोक्त खसरा नम्बरान की वादी/विक्रेता के भाई बंट में आती है व शेष 10 बिस्वा भूमि विकेता/वादी ने खरीद की है, इस बात का नोट रजिस्टर्ड विकय-पत्र में लगा हुआ है।

वादी की खरीद सुदा शेष 10 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण नहीं भरने की जानकारी हुई, इसलिए वादी उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के खरीद सुदा शेष 10 बिस्वा भूमि को अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया है।
खेत पुराने खसरा नम्बर 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 450 रकबा 2.8700 हैक्टेयर बारानी 1 व पुराने खसरा नम्बर 422/355 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 476 वाके सरहद बेरी खुर्द में से वादी द्वारा प्रतिवादी सं० 1 व 2 से जरिये विक्रय-पत्र के खरीद सुदा व कब्जा सुदा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर क़ाबिज चला आ रहा है, लेकिन सहवन से वादी की 10 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण नहीं भरे जाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाते हुये प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा वादी को उसकी खरीद सुदा 10 बिस्वा भूमि से बेदखल करने व खातेदारी की आड़ में भू-माफियाओं को बैचाण करने की एलानियाँ धमकी देने के कारण वादी को यह दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :-
खेत पुराने खसरा नम्बर 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 450 रकबा 2.8700 हैक्टेयर बारानी 1 व पुराने खसरा नम्बर 422/355 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 476 वाके सरहद बेरी खुर्द में प्रतिवादी सं० 1 व 2 की सम्भावित भूमि में से वादी की खरीद सुदा व कब्जा सुदा 10 बिस्वा भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें किं खेत पुराने खसरा नम्बर 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 450 रकबा 2.8700 हैक्टेयर बारानी 1 व पुराने खसरा नम्बर 422/355 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 476 वाके सरहद बेरी खुर्द में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का बैचाण, हस्तान्तरण, गिरवीनामा आदि न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी एजेन्ट, प्रतिनिधि आदि से करावें।
वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिली अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया।
बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 ने अपने सम्पूर्ण सम्भावित हिस्से 229/458 भाग भूमि में से 55/458 भाग अर्थात 02 बीघा 15 बिस्वा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनाक 21.05.2007 को वादी को बैचाण कर दिया वादी की कय सुदा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से केवल मात्र 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि का ही

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

नामान्तकरण भरा गया तथा वादी की खरीद सुदा शेष 10 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण नहीं भरा गया है। अतः शेष 10 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदारी घोषित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी जरिये पंजीकृत बैचाण दिनांक 21.05.2007 के अनुसार 10 बिस्वा भूमि की प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर घातेदारी घोषित करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। दौरानें पंजीकृत बैचाण दिनांक 21.05.2007 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विक्रित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक हिससे की भूमि में से वादी को 44/458 भाग यानि 02 बीघा 15 बिस्वा में 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि क्रेत के भाई बंट में आती है। व शेष 10 बिस्वा भूमि मुझ विक्रेता युसुफ खां से आपने खरीदी है। वादी अतः वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

शरहद बेरी खुर्द के खेत पुराने खसरा नम्बर 343 रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 450 रकबा 2.8700 हैक्टेयर बारानी 1 में पंजीकृत बेचाण दिनांक 21.05.2007 के अनुसार 10 बिस्वा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **06.05.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना